

राजस्थान - सरकार

शिक्षा - विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ20(101/5)आयो/निकाशि/2011-12/ 639 दिनांक: 3 अक्टूबर, 2012

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालयों में नवीन उपकरण क्रय करने हेतु राशि का आवंटन निम्नलिखित बजट मदों में किया जाता है:-

1 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए महाविद्यालय (मांग संख्या-30)

बजट मद

2202	-	सामान्य शिक्षा
03	-	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
796	-	अनुसूचित जनजाति के लिए
01	-	राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) आयोजना

राशि लाखों में

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाडा	6.30
2	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा	7.00
3	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बून्दी	7.00
4	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	7.00
5	राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर	7.00
6	राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड़	3.70
7	राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	7.00
8	राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा	7.00
	योग	52.00

2 अनुसूचित जाति उपयोजना में शामिल महाविद्यालय (मांग संख्या-51)

बजट मद

2202	-	सामान्य शिक्षा
03	-	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
789	-	अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र (विशेष संघटक योजना)
01	-	अनुसूचित जातियों के लिए (विशेष संघटक योजना) आयोजना

राशि लाखों में

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	8.00
2	राजकीय महाविद्यालय, केकडी	7.00
3	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	8.00
4	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	8.00
5	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	8.00
6	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	7.00
7	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	8.00
8	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	7.00
9	राजकीय महाविद्यालय, डीग	7.00
	योग	68.00

6

3 राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) (मांग संख्या-24)

बजट मद

- 2202 - सामान्य शिक्षा
 03 - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
 103 - राजकीय कालेज तथा संस्थान
 03 - राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए)

राशि लाखों में

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर	7.00
2	राजकीय महिला महाविद्यालय, बालोतरा	7.00
3	राजकीय महिला महाविद्यालय, बाडमेर	7.00
4	राजकीय महिला महाविद्यालय, भरतपुर	7.00
5	राजकीय महिला महाविद्यालय, भीलवाडा	7.00
6	राजकीय महिला महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	7.00
7	राजकीय महिला महाविद्यालय, दौसा	7.00
8	राजकीय महिला महाविद्यालय, झालावाड	3.00
9	राजकीय महिला महाविद्यालय, नीमकाथाना	7.00
10	राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा (जयपुर)	7.00
11	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	7.00
12	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमू	7.00
योग		80.00

4 राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) (मांग संख्या-24)

बजट मद

- 2202 - सामान्य शिक्षा
 03 - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
 103 - राजकीय कालेज तथा संस्थान
 02 - राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)

राशि लाखों में

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	राजर्षि महाविद्यालय, अलवर	7.00
2	राजकीय महाविद्यालय, भवानीमण्डी	3.10
3	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	7.00
4	राजकीय महाविद्यालय, चूरू	7.00
5	राजकीय महाविद्यालय, देवली	6.00
6	राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	7.00
7	राजकीय महाविद्यालय, जालौर	7.00
8	राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा	6.00
9	राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया	7.00
10	राजकीय महाविद्यालय, झुन्झुनु	7.00
11	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	7.00
12	राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली	7.00
13	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद	6.00
14	राजकीय महाविद्यालय, नोहर	6.00
15	राजकीय महाविद्यालय, नोखा	1.50
16	राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द	7.00
17	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़	7.00
18	राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज	3.15
19	राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	7.00
20	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	7.00
21	राजकीय महाविद्यालय, सोजतसिटी	6.75
22	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा	0.50
23	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़	7.00
24	राजकीय महाविद्यालय, थानागाजी	7.00
25	राजकीय महाविद्यालय, बांरा	7.00

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
26	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर	7.00
27	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	7.00
28	राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना	7.00
29	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल	7.00
30	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड	7.00
31	राजकीय महाविद्यालय, खेतडी	7.00
32	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	7.00
	योग	200.00

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ID N0. 131200358 दिनांक 25.05.2012 एवं प्रशासनिक विभाग की MR N0. 3293 दिनांक 19.10.2012 के क्रम में जारी की जाती है।

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ20(101/5)आयो/निकाशि/2011-12/ 640-45 दिनांक:31 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित प्राचार्य - को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित प्राचार्य दिनांक 31.12.2012 तक उपकरण/रसायन आदि का नियमानुसार क्रय कर निदेशालय को अवगत करावे।
5. डा धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता वेबसाइट प्रभारी कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

(डॉ. सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक